दीर्घावधि वाले कार्यक्रमों की शुरुआत समर्पित संस्थानों अथवा तंत्रों द्वारा निष्ठा-पूर्वक की जा रही है। इसके अलावा यह सिफारिश भी की गई कि यह देखने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न किये जायें कि क्रियान्वयन की गति को बनाये रखा जाए ताकि कार्यक्रमों को प्रभावी बनाया जा सके।

(घ) प्रथम चरण में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालय से शताब्दी समारोहों के दौरान उनके द्वारा शुरू किये गये कार्यक्रमों/क्रियाकलापों/योजनाओं के संबंध में अद्यतन क्रियान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है ताकि इन कार्यक्रमों का मूल्यांकन और इनकी समीक्षा की जा सके।

स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान प्रदान करने में अनियमितताएं

4656. **श्री कामेश्वर पासवान :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : कि

(क) क्या यह सच है कि कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में भारी अनियमितताएं होती हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकांश स्वैच्छिक संगठनों की उपलब्धियां मात्र फाइलों पर ही हैं और मंत्रालय उन्हीं उपलब्धियों के आधार पर ही वित्तीय सहायता देता है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसी अनियमितताओं को रोकने और ऐसी उपलब्धियों के आधार पर वित्तीय सहायता देने वालों को सजा देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी; और

(घ) कल्याण मंत्रालय द्वारा विगत दो वर्षों के दौरान बिहार राज्य में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं और राज्य एजेंसियों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है और इस वित्तीय सहायता के प्राप्तकर्ताओं के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) से (ग) कल्याण मंत्रालय से जो स्वैच्छिक संगठन, सहायतानुदान प्राप्त करते है, वे संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं और निधियों के उपयोग में अनियमितताओं के मामले बहुत ही कम हैं। संबंधित संगठनो से उपयोग प्रमाण पत्र, अंकेक्षित लेखा विवरण तथा अवधिक रिपोर्ट प्राप्त करने के अलावा, कल्याण मंत्रालय द्वारा इसके अपने अधिकारियों के माध्यम से या राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की एजेंसी के माध्यम से तथा विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों में तैनात राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के निदेशकों के माध्यम से निरीक्षण भी किया जाता है। जब कभी भारी अनियमितताएं ध्यान में आती हैं, तो न केवल आगामी सहायतानुदान रोक लिया जाता है बल्कि गबन या अन्य आपराधिक अपराधों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई हेतु अपराधिक कार्यवाही भी शुरू की जाती है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

बिहार में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण व विकास में कार्यरत उन स्वैच्छिक संगठनों के नाम दर्शाने वाला विवरण, जिन्हें पिछले दो वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की गई है :

क्रम सं०	स्वैच्छिक संगटनों के नाम	सहायतानुदान की राशि (रुपयों में) 1991-92	1992-93
1.	रामकृष्ण मिशन आश्रम, स्वामी विष्णु घनानंद रोड, मोराबाडी, रांची, बिहार	7,4 4,736	8,34,008
2.	ग्रामीण विकास संगठन, गांव व डा० कोरमाथु गया, बिहार	—	80,640
3.	महिला मुक्ति वाहिनी, अलकापुरी, गरदनी बाग, पटना बिहार	—	43,830
4.	कोशी महिला उत्थान संघ, शिवेश्वरनाथ ग्राम, गांव बेलोकला (पूर्वी) टोला) जीतपुर, माधोपुरा, बिहार	—	22,005
5.	आदिवासी कल्याण सेवा सदन, हरिनकल, डा० धमदाहा, जिला पूर्णिया, बिहार	—	1,72,260
6.	आर० के० मिशन ट्यूबरकलोसिस सेनाटोरियम, रांची, बिहार	2,32,380	10,15,882
7.	आ.र०के० मिशन विवेकानन्द सोसायटी, विस्तुपुर, जमशेदपुर (बिहार)	3,51,378	5,11,492
8.	भारत सेवाश्रम संघ, सोनारी पश्चिम, जमशेदपुर	1,11,770	5,38,662
9.	सोसायटी फार रूरल इंडस्ट्रियलाईजेशन, बरियातू, रांची, बिहार	3,8 4,750	2,63,473

National Commission on SC/ST

4657. SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether there is any provision for submission of report/recommendations by the Chairman of National Commission for SCST as it was done by Commissioner for SC/ST;

(b) if so, whether any such report has been submitted to Government by the Chairman since the National Commission established;

(c) if not, what other arrangement has been made there to know the activities and recommendations of National Commission yearly by Government, Parliament and Public;